

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 1(1)(145)/निमअ/स्था/2020/ 27467

जयपुर, दिनांक 19/11/2020

आदेश


श्रीमती रश्मि गुप्ता (IAS), आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर के दिनांक 17.11.2020 से 04.12.2020 तक 18 दिवस के उपार्जित अवकाश की अवधि के दौरान आयुक्त, महिला अधिकारिता के पद का अतिरिक्त कार्यभार अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा सम्पन्न किया जावेगा। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(डॉ. आभा जैन)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 1(1)(145)/निमअ/स्था/2020/ 27468-482 जयपुर, दिनांक 19/11/2020

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. निदेशालय महिला अधिकारिता के समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), मअ मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली।


उप निदेशक, संस्थापन